प्रेस विज्ञप्ति

06.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 03.05.2024 को इंडियन बैंक, फरीदाबाद, हरियाणा की बल्लभगढ़ शाखा में पुनीत कुमार के उनकी मां के नाम पर प्रबंधित लॉकर से 14.04 करोड़ रुपये मूल्य का 19.500 किलोग्राम सोना बरामद और जब्त किया है। उक्त लॉकर की तलाशी विशिष्ट इनपुट के आधार पर की गई थी कि विभिन्न साइबर अपराधों से अर्जित अपराध की आय को पुनीत कुमार ने अपनी मां के नाम पर इंडियन बैंक में प्रबंधित लॉकर में सोने के रूप में छुपाया है। पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, मोती नगर, दिल्ली के निवासी पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी,साइबर जालसाज को 03.04.2024 को नेपाल से वापसी यात्रा करते समय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के आगमन हॉल, टर्मिनल -3 से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन माननीय पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और 12 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत दी गई और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि सहित पूरे भारत में दर्ज प्राथमिकियों (एफआईआर)के आधार पर जांच शुरू की। पुनीत कुमार विभिन्न साइबर धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को धोखा देने, तदोपर्यंत अपराध की आय के शोधन और उसे भारत से बाहर भेजने में संलिप्त था। उसने लोगों को धोखा देने का एक विशिष्ट तरीका तैयार किया, जिसमें घोटाले को अंजाम देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सर्वरों का उपयोग किया गया, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में सिंडिकेट के संचालन में समर्थन प्रदान करने के लिए भारत में एक समानांतर प्रणाली स्थापित की गई। पुनीत कुमार, 2020 और 2024 की अवधि के बीच भारत भर में साइबर अपराधों और ऑनलाइन गेमिंग योजनाओं की एक श्रृंखला , जिसमें 4,978 करोड़ रुपये का भारी अवैध लाभ हुआ है, जिसे विदेशों में भेज दिया गया है,को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार सिंडिकेट के महत्वपूर्ण सरगनाओं में से एक है|

इसके अलावा, फरवरी और मार्च 2024 के महीनों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 14 परिसरों में पहले की गई तलाशी में (पुनीत कुमार के परिसर से) 5.04 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 8.00 किलोग्राम की विदेशी निर्मित सोने की छड़ें (गोल्ड बार्स), 75 लाख रुपये की नकदी, आभूषण, महंगी लक्जरी घड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी और किआ जैसी लक्जरी कारें, साथ ही अपराध-संकेती दस्तावेज और साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित विभिन्न संपत्तियां जब्त की गईं।

ईडी की जांच से पता चला है कि फ़र्जी (शेल) संस्थाओं (जिनका इस्तेमाल अपराध की आय को छुपाने और उसे विदेशों में भेजने के लिए किया जाता था) की स्थापना में कई फर्जी पैन कार्ड/आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया, इन कार्रवाइयों के दौरान इन संस्थाओं के बैंक खातों के प्रबंधन के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले मोबाइल उपकरण और कार्यालय की मोहरें भी जब्त कर लिए गए। पहचान से बचने के लिए, इन गतिविधियों में शामिल व्यक्ति एनीडेस्क(Anydesk) और टीम व्यूअर(Team Viewer) जैसे दूरस्थ (रिमोट)डेस्कटॉप अनुप्रयोगों के माध्यम से एक्सेस किए गए रिमोट-आधारित सर्वर/लैपटॉप का उपयोग किया करते थे । इस संबंध में, सर्वर सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था की परिसर से दूरस्थ माध्यम से व्यवहार किए जाने वाले दो ऐसे लैपटॉप बरामद किए गए और जब्त कर लिए गए, जो वास्तविक परिचालन स्थल से दूर स्थित थे।

गहन जांच से पता चला है कि पुनीत कुमार, आशीष कक्कड़ (जिन्हें 02.03.2024 को गिरफ्तार किया गया था) और अन्य ने साइबर अपराधों के माध्यम से अर्जित आय के बाहरी प्रेषण की व्यवस्था की। अपराध जनित आय के हेरफेर के उद्देश्य से, उन्होंने एसईजेड मुंद्रा, एसईजेड कांडला आदि जैसे विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों में दुबई, हांगकांग, चीन आदि से उच्च मूल्य की वस्तुओं (जैसे रोज़ ऑइल, सौर पैनल मशीनरी) की बड़ी संख्या में खेपों का आयात किया और बाद में एसईजेड से ही इसका निर्यात किया। उन्होंने आयात के एवज में 4978 करोड़ रुपये का बाहरी प्रेषण भेजा, लेकिन एसईजेड से माल के निर्यात के एवज में कोई भी आवक प्रेषण प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह, वे हवाला लेनदेन के उद्देश्य से आयात-निर्यात के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग में भी शामिल हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।